"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पुष्पा कुशवाह (Smt. Pushpa Kushwah) पति श्री विजय सिंह कुशवाह, उम्र 64 वर्ष, निवासी-मकान क्रमांक एमओ/40, एच. टी. पी. पी. दर्री, छ. रा. वि. कं. मण्डल पश्चिम, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती भगवती देवी था इस कारण मेरे पति श्री विजय कुमार कुशवाह के सेवा अभिलेख में मेरा पूर्व नाम श्रीमती भगवती देवी दर्ज किया गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पुष्पा कुशवाह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती पुष्पा कुशवाह पति श्री विजय सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती भगवती देवी
पति श्री विजय सिंह कुशवाह
निवासी-मकान नं. MO-40, एच. टी. पी. पी. कालोनी,
छ. ग. राज्य विद्युत मंडल दर्री, कोरबा (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती पुष्पा कुशवाह
पति श्री विजय सिंह कुशवाह
निवासी-मकान नं. MO-40, एच. टी. पी. पी. कालोनी,
छ. ग. राज्य विद्युत मंडल दर्री, कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कामू राम कुर्रे (Kamu Ram Kurre) आत्मज स्व. समय लाल कुर्रे, उम्र 57 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 771/4, चन्द्रनगर उमरपोटी, पोस्ट आफिस-पुरई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कामू राम (Kamu Ram) दर्ज है. मेरा सही व पूरा नाम कामू राम कुर्रे है. मैं अपने नाम के आगे उपनाम "कुर्रे" जोड़कर नया नाम/उपनाम कामू राम कुर्रे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कामू राम कुर्रे आत्मज स्व. समय लाल कुर्रे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कामू राम (Kamu Ram) आत्मज स्व. समय लाल (Samay Lal) निवासी-प्लाट नं. 771/4, चन्द्रनगर उमरपोटी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कामू राम कुर्रे (Kamu Ram Kurre) आत्मज स्व. समय लाल कुर्रे (Samay Lal Kurre) निवासी-प्लाट नं. 771/4, चन्द्रनगर उमरपोटी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राम कुमार चन्द्रा (Ram Kumar Chandra) पिता श्री श्याम लोचन सिंह (Shyam Lochan Singh) उम्र 38 वर्ष, निवासी-मकान नं. 168/62, गणपति विहार, मुख्य डाकघर के सामने, मिनाक्षी नगर, पोटियाकला, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1978 है तथा मेरे वास्तविक पिता का नाम तीर्थ राम चन्द्रा (Tirth Ram Chandra) एवं माता का नाम श्रीमती शांति चन्द्रा है, मेरे पिता द्वारा अपने बचपन के मित्र श्री श्याम लोचन सिंह को उनके कोई संतान न होने के कारण मुझे बतौर दत्तक सौंप दिया था तब से मैं राम कुमार सिंह शासकीय अभिलेखों में दर्ज कराता आया हूं. जिस वक्त मुझे गोद लिया गया था उस वक्त उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी सिंह की कोई संतान नहीं थी. वर्तमान में श्री श्याम लोचन सिंह के दो संतान हैं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राम कुमार चन्द्रा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राम कुमार चन्द्रा पिता श्री तीर्थ राम चन्द्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राम कुमार सिंह/राम कुमार पिता श्री श्याम लोचन सिंह माता श्रीमती लक्ष्मी देवी सिंह निवासी-मकान नं. 168/62, गणपति विहार, मुख्य डाकघर के सामने, मिनाक्षी नगर, पोटियाकला, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	राम कुमार चन्द्रा पिता श्री तीर्थ राम चन्द्रा माता श्रीमती शांति चन्द्रा निवासी-मकान नं. 168/62, गणपति विहार, मुख्य डाकघर के सामने, मिनाक्षी नगर, पोटियाकला, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तोटा सन्यास नायडू (Thota Sanyas Naidu) आत्मज तोटा हनुमंत राव (Thota Hanumanth Rao) उम्र 56 वर्ष, निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी, गुढ़ियारी, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज एवं शैक्षणिक रिकार्ड में मेरा नाम टी. सन्यास नायडू (T. Sanyas Naidu) पिता टी. हनुमंत राव (T. Hanumanth Rao) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम तोटा सन्यास नायडू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे तोटा सन्यास नायडू आत्मज तोटा हनुमंत राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
टी. सन्यास नायडू (T. Sanyas Naidu) पिता टी. हनुमंत राव (T. Hanumanth Rao) निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी, गुढ़ियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	तोटा सन्यास नायडू (Thota Sanyas Naidu) पिता तोटा हनुमंत राव (Thota Hanumanth Rao) निवासी-एल. आई. जी.-85, जनता कालोनी, गुढ़ियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कपिल देव सिंह आत्मज श्री मूलचंद सिंह, निवासी-मकान नं.1411, वार्ड नं. 09, सदभावना चौक के पास, कृपाल नगर कोहका, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के दस्तावेज में मेरा नाम कपिल देव सिंह हिन्दी में सही लिखा गया है परन्तु अंग्रेजी में Kapil Dev Singh की जगह Kapil Deo Singh दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कपिल देव सिंह आत्मज श्री मूलचंद सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कपिल देव सिंह (Kapil Deo Singh) पिता स्व. मूलचंद सिंह (Late Moolchand Singh) निवासी-मकान नं. 1411, माया भवन, कृपाल नगर, कोहका, वार्ड नं. 09 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कपिल देव सिंह (Kapil Dev Singh) पिता स्व. मूलचंद सिंह (Late Moolchand Singh) निवासी-मकान नं. 1411, माया भवन, कृपाल नगर, कोहका, वार्ड नं. 09 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति जशोदा पति श्री लखीचंद, उम्र 58 वर्ष, निवासी-शाप नं. 54/ए, मार्केट सेक्टर 02, थाना सेक्टर 06 कोतवाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री लखीचंद के भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के व्यक्तिगत विवरणी अभिलेख में पत्नी के रूप में श्रीमति यशोदा बाई उल्लेखित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति जशोदा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमति जशोदा पति श्री लखीचंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

यशोदा बाई
पति श्री लखीचंद
निवासी-शाप नं. 54/ए, मार्केट सेक्टर 02,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जशोदा
पति श्री लखीचंद
निवासी-शाप नं. 54/ए, मार्केट सेक्टर 02,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवानंद निर्मलकर पिता स्व. श्री तुकाराम निर्मलकर, आयु 53 वर्ष, जाति धोबी, निवासी-दीवानटोला (बजरंगपुर नवागांव) वार्ड नं. 2, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा पुत्र का नाम योगेश कुमार निर्मलकर पिता देवानंद निर्मलकर अंकित हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम योगेश निर्मलकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को योगेश निर्मलकर पिता देवानंद निर्मलकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

योगेश कुमार निर्मलकर
पिता श्री देवानंद निर्मलकर
निवासी- बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नं. 02, (दीवानटोला)
राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
Mob. No. 7587122778

नया नाम

योगेश निर्मलकर
पिता श्री देवानंद निर्मलकर
निवासी- बजरंगपुर नवागांव, वार्ड नं. 02, (दीवानटोला)
राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)
Mob. No. 7587122778

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2016-17

क्रमांक/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2016.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रितेश जिन्दल निवासी-कारा गुमा उरला रोड रायपुर द्वारा "रियल केयर फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-ग्राउण्ड फ्लोर वृन्दावन, आई. डी. बी. आई. बैंक सिविल लाईन रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता : "रियल केयर फाउण्डेशन ट्रस्ट" पता-ग्राउण्ड फ्लोर वृन्दावन, आई. डी. बी. आई. बैंक सिविल लाईन रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

(2) चल संपत्ति : 40,000/- रु. (चालीस हजार रुपये मात्र)

(3) अचल संपत्ति : निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से दिनांक 20-01-2017 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईश्तहार आज दिनांक 14-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एल. गजपाल,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2016/3140.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/948 दिनांक 23-03-2015 के तहत् अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर, सरकंडा, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 266 दिनांक 12-01-2009 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमती शोभा बंदे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत अम्बा साख सहकारी समिति मर्या. शास्त्रीनगर, सरकंडा, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 266 दिनांक 12-01-2009 विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 07-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्रमांक/परि./2016/3141.— विकास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. नेहरूनगर बिलासपुर, पं. क्र. 3374 दिनांक 29-01-1991, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 22-11-2016 की आमसभा में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार संस्था विगत कई महिनों से बंद है संस्था के सदस्य संस्था के कार्य संचालन में रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण संस्था परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है को प्रयोग करते हुये विकास प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. नेहरूनगर बिलासपुर, पं. क्र. 3374 दिनांक 29-01-1991, विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बिल्हा, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./2016/3161.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/947 दिनांक 23-03-2015 के तहत् छ. ग. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या. नगर निगम, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 268 दिनांक 05-02-2009 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री आर. डी. कुल्हारा अंकेक्षण अधिकारी , को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है को प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत छ. ग. कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या.नगर निगम, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 268 दिनांक 05-02-2009 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश दिनांक 13-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.